L.A.M/21(8)
31/7/19

अ६२अ

सा/08

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

सम्परीक्षा आख्या एंव निरीक्षण टिप्पणी

लेखे का नाम	:	नगर पालिका परिषद खेकड़ा, जिला बागपत।
लेखा परीक्षा की अवधि	:	2018–19
लेखा परीक्षा के दिनांक	:	वर्तमान लेखा परीक्षा दिनांक 10–06–19 को प्रारम्भ होकर दिनांक 05–07–19 को समाप्त हुई।
प्रशासन	:	आलोच्य अवधि में सम्पूर्ण अवधि श्रीमती संगीता धामा नगर पालिका के अध्यक्ष पद तथा श्रीमती निहारिका चौहान अधिशासी अधिकारी के पद पर आसीन रही। आहरण वितरण का कार्य सन्दर्भित अवधियों हेतु उक्त अधिकरियों द्वारा संयुक्त रूप से सम्पादित किया गया।
लेखा परीक्षा का स्वरुप	:	उप–लेखा परीक्षा

भाग 'क'

वर्तमान लेखा परीक्षा

(एक)

निधियों और सम्पत्ति की हानि और दुर्विनियोजन के प्रकरण

1. **जल संजोजनो/विच्छेदनों पर रोड़ कटिंग चार्जिज आरोपित नहीं किये जाने से नगर पालिका को धनराशि रु0 21,310 की क्षति** :–सम्परीक्षा में देखा गया कि नगर पालिका द्वारा जल संयोजनो एवं विच्छेदनों पर उपभोक्ताओं से रोड़ कटिंग चार्जिज के रूप में नियमानुसार वास्तविक लागत की वसूली नहीं की जा रही थी, जिसके कारण नगर पालिका को आलोच्य अचधि 2018–19 में निम्नांकित विरणानुसार 17 कनेक्शनों के कारण रोड़ कटिंग चार्जिज के रूप में लगभग रु0 21,310 सम्भावित आय क्षति हुई।

उल्लेखनीय है किइन्टर लाकिंग टाइलों के पुनर्स्थापन एक वर्गमीटर पर लगभग 834/– खर्च आता है (जिसमे से आई टाईप एक टाईल की कीमत 17 की दर से 35 टाईलो पर रू 595, बिछाने पर लगभग 78 रुपये, बालू पर लगभग 20 रुपये तथा जी0एस0बी0 व अन्य विविध व्यय रू 141 आता है)। अवधि 2018–19 में खेकड़ा–बागपत व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्टर लाकिग टाईलों के पुनर्स्थापन हेतु इसी दर पर रोड़ कटिंग चार्जिज आरोपित कर वसूली की गयी थी। इस दर विश्लेषण में 12.5 प्रतिशत या रू 104.25 पै0 प्रशासनिक व्यय सम्मिलित करने पर कुल व्यय रु0 938 प्रति वर्गमीटर होता है। विदित है कि पानी की पाईप लाईन किसी भी भवन मे संयोजन हेतु न्यूनतम 2 वर्गमीटर रोड़ की कटिंग अवश्य करनी पड़ती है, चूंकि पेय जल आपूर्ति लाईन किसी भी भवन की बाहय बाउन्डरी वाल से लगभग 1 से 2 मीटर तक की दूरी पर सुरक्षा की दृष्टि से बिछायी जाती है। नियमानुसार पालिका हित में प्रत्येक उपभोक्ता से न्यूनतम (2) वर्गमीटर या अधिक होने पर वास्तविक दूरी के आधार पर रोड़ कर्टिंग चार्जिज की सम्पूर्ण सेवा अवधि में केवल एक बार वसूली की जाती है।

उल्लेखनीय है कि पालिका द्वारा जल संयोजन हेतु मात्र एक ठेकेदार को आलोच्य अवधि में लाइसेंस जारी किया गया था, परन्तु इस ठेकेदार को लाइसेंस जारी किये जाने से पूर्व जल संयोजन के कार्य हेतु आवश्यक निर्धारित न्यूनतम योग्यता की पूर्ति एंव लेबर विभाग से पंजीकृत व्यवसायी होने

Scanned by CamScanner

के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की औपचारिकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

प्रश्नगत ठेकेदार द्वारा पलिका सीमा में स्थित समस्त जल संयोजनों/विच्छेदनों के कार्य के विवरण के आधार पर पालिका द्वारा रोड़ कर्टिंग चार्जिज उपभोक्ता से वसूल किया जाता था। पलिका द्वारा जल संयोजन हेतु उपभोक्ता को निर्धारित मानक के फेरूल की आपूर्ति नहीं की जाती थी। इसे खुले बाजार से उपभोक्ता द्वारा स्वम् क्रय किया जाता था, जिसके मानक व व्यास का परीक्षण भी पालिका स्तर से नहीं किया जाता था। पालिका पर कनेक्शन संख्या या कोई पालिका मोहर या चिन्ह अंकित नहीं किया जाता था। पालिका के अवर अभियन्ता या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण द्वारा कभी भी ठेकेदार द्वारा सम्पादित कार्य के संतोषजनक होने की पुष्टि नहीं की गयी थी। यह प्रक्रिया अत्यन्त दोषपूर्ण एवं पलिका के हितो के प्रतिकूल थी। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

क्र0 सं0	उपभोक्ता का नाम	वार्ड सं0	देय(रोड़ कर्टिंगचार्जिज) 2 वर्ग मी0 हेतु	वास्तविक वसूली (रोड़ कर्टिंग चार्जिज)	आर्थिक क्षति धनराशि
1	श्री तसलीम	7	1,876	604	1,272
2	श्रीमती चन्द्रो	14	1,876	794	1,082
3	श्रीमती राजवती	10	1,876	725	1,151
4	श्री अनिल कुमार यादव	13	1,876	564	1,312
5	श्री मेहरदीन	11	1,876	554	1,322
6	श्री राजवीर	14	1,876	844	1,032
7	श्री जयवीर सिंह	5	1,876	743	1,133
8	श्री नरेश	3	1,876	644	1,232
9	श्री यूनस	13	1,876	543	1,333
10	श्री राकेश	14	1,876	684	1,192
11	श्री शिकारण	12	1,876	894	982
12	श्री हरीश गुप्ता	3	1,876	894	982
13	श्री जयवीर	11	1,876	524	1,352
14	श्री अब्दुल गफ्फार	11	1,876	740	1,136
15	श्रीमती रोशनी देवी	1	1,876	401	1,475
16	श्रीमती मंजू धामा	14	1,876	584	1,292
17	श्री नरेश (जल विच्छेदन)	19	1,876	–शून्य–	1,876
	योग		31,892	10,582	**21,310**

उपरोक्त विवरणानुसार पलिका को हुई आर्थिक क्षति के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय अन्यथा उपभोक्ता/दोषी कर्मचारी से पालिका को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति करायी जाय। कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

2. <u>ठेका मुर्दा मवेशी आवंटित नहीं किये जाने से पालिका कोष को धनराशि रु0 12,100 की सम्भावित आय क्षति</u> :–सम्परीक्षा में देखा गया कि नगर पालिका द्वारा अवधि 2016–17 में ठेका मुर्दा मवेशी श्रीमती सोना पत्नी श्री दयानन्द को धनराशि रु0 10,000 में आवंटित किया गया था। यदि पालिका द्वारा शासनादेशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष ठेका न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आवंटित किया जाता तो अवधि 2018–19 में पालिका को इस मद से रु0 12,100 की आय अवश्य प्राप्त होती। पालिका द्वारा

Scanned by CamScanner

ठेका आवंटन की कार्यवाही निष्पादित नहीं किये जाने के कारण पालिका को रु0 12,100 की सम्भावित आय से वंचित होना पड़ा। यह पालिका के वित्तीय हितो के प्रतिकूल था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

3. **शासनादेशों के अनुरूप जलमूल्य निर्धारित दर पर आरोपित नहीं किये जाने से पालिका कोष को रु0 5,40,540 की क्षति** :–सम्परीक्षा में देखा गया कि आलोच्य अवधि 2018–19 में पालिका द्वारा उपभोक्तओं से रू 25 प्रति माह या रू 300 प्रति वर्ष की दर से जलमूल्य वसूल किया जा रहा था जबकि शासनादेश संख्या संख्या :1810/नौ– 2–9657(2)/96दिनांक 08.01.1997 द्वारा नगर पालिका परिषद क्षेत्रो मे न्यूनतम रु0 50 प्रतिमाह और नगर पंचायत क्षेत्रो मे न्यूनतम रु0 30 ये दरे घरेलू उपभोग के कनेक्शन पर ही लागू किये जाने हेतु निदेशित किया गया था। पुनः शासनादेश संख्या 943/नौ–2–2006–4 नियम/06 18.07.2006 द्वाराप्रत्येक 3 वर्ष के बाद जलमूल्य में 5 प्रतिषत की वृद्धि किये जाने हेतु निदेशित किया गया था। इस प्रकार पहली वृद्धि दिनांक 01.04.2007 से की जाने हेतु निदेशित किया गया था। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जलमूल्य में की गयी 3 बार की वृद्धि के पश्चात जलमूल्य में अगले 10 वर्षो तक कोई वृद्धि नहीं की जाने की व्यवस्था भी प्रश्नगत शासनादेश में की गयी थी। शासनादेश दिनांक 18.07.06 में यह भी स्पष्ट किया गया था कि इस विषय में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 1080/नौ–2–98–57(106)/91 दिनांक 29.09.98 में किये गये प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

उपरोक्त शासनादेशों के आलोक में नगर पालिका खेकड़ा को दिनांक 01.04.2018 से शासनादेश द्वारा पूर्व निर्धारित धरेलू जलमूल्य दर रु0 600 वार्षिक में न्यूनतम 5 प्रतिशत वृद्धि करके प्रभावी जलमूल्य दर रु0 630 प्रतिवर्ष की लागू की जानी चाहिये थी। परन्तु पालिका द्वारा आलोच्य अवधि 2018–19 में वार्षिक जलमूल्य दर को रु0 300 वर्षिक पर स्थिर किया गया था उल्लेखनीय है कि आलोच्य अवधि 2018–19 में कुल कार्यशील जल संयोजनों की संख्या 1638 थी। शासनादेश व्यवस्था के अन्तर्गत धरेलू जलमूल्य मद में वसूली मे पालिका को आलोच्य अवधि 2018–19 में रु0 330 प्रति संयोजन की दर से {630–300=330X1638} या रु0 5,40,540 की आय से वंचित होना पड़ा। यह पलिका के वित्तीय हितो के प्रतिकूल था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराते हुए अभाव पूर्ति हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय। कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

टिप्पणी :– नगर पालिका द्वारा शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप गैर घरेलू जल संयोजनों पर निदिंष्ट जलमूल्य दर आरोपित करने के स्थान पर घरेलू दरें आरोपित की गयी थी। जिसके कारण पालिका को जलापूर्ति की वास्तविक लागत भी वसूल नहीं हो पा रही थी। यह अत्यन्त अनियमित था। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष महोदया का घ्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। दरों को तर्कसंगत सीमा तक संशोधित करने हेतु पालिका स्तर पर प्रभावी कार्यावाही अपेक्षित है।

4. **दुकान किराये की अद्यावधिक वसूली नहीं किये जाने से पालिका को रु0 96,450 की आर्थिक क्षति** :–सम्परीक्षा में देखा गया कि नगर पालिका द्वारा पानी की टंकी के परिसर में बनी 14 दुकानो को रू 450 प्रतिमाह की दर से किराये पर आवंटित किया गया था। इन किरायेदारो द्वारा पालिका को अपनी सुविधानुसार देय दुकान किराये का भुगतान किया जा रहा था। पालिका द्वारा विलम्ब से प्राप्त किराये पर कोई भी दण्ड ब्याज की वसूली नहीं की जा रही थी, चूकिं पालिका द्वारा प्रशनगत दुकानो का किरायानामा विधिक रूप से निष्पादित नहीं कराया गया था। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर प्रर्याप्त धनअभाव के कारण पांलिका के आवश्यक विकास कार्य लम्बित पडें थे वही दूसरी तंरफ इस आय से प्राप्त होने वाली सम्भावित ब्याज आय से पालिका को वंचित होना पड़ रहा था। आलोच्य अवधि में दिनांक 31.03.2019 को दुकान संख्या 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 के आवंटियों पर क्रमशः रु0 96,450 {10,800+2, 700+16, 200+5, 750+16, 200+6, 600+2, 700+11, 200+5, 400+8, 100+5, 400+5,

Scanned by CamScanner

(छ:)

वित्तीय प्रबन्धन व बजट पर टिप्पणियां

11– <u>सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की शासनादेश के अनुरूप स्थापना नहीं किया जाना</u> :–सम्पीक्षा में देखा गया कि शासनादेश संख्या 9624 टी/9–1–81 सा(2) दिनांक 02.11.1981 के क्रम में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2450 टी 9–1–81 सा(2) दिनांक 02.06.1984 के प्रस्तर (1) में यह स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया था कि प्रत्येक टाउन ऐरिया/नगर पालिका एक कोष संचित करेगी जो सफाई कर्मवारी कल्याण निधि के नाम से जाना जायेगा जिसका उद्‌देश्य हरिजन बस्ती में खेलों तथा अन्य मनोरंजन के लिए सुविधा देने का प्रबन्ध करना, सफाई कर्मचारियों के बच्चों की किताबों तथा उनके लिखने पढ़ने की पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराना, एक पुस्तकालय का आयोजन कराना तथा एक नाइट स्कूल जिसमें प्रौढ़ लोगो को पढ़ाने की समुचित प्रबन्ध करना था। निकाय को कूड़े मल की ब्रिकी से प्राप्त आय का 1/4 भाग इस निधि में जमा कराया जाना चाहिये था। परन्तु नगर पालिका द्वारा सफाई कर्मवारी कल्याण निधि की स्थापना नहीं की गयी थी। यह अत्यन्त अनियमित था। अभाव की पूर्ति कराकर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय। शासनादेश के अनुरूप इस कोष के लिए एक पृथक से सामान्य रोकड़बही भी अनुरक्षित की जाय।

12– <u>शासनादेश के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क आरोपित नहीं किये जाने से पालिका को भारी आर्थिक क्षति</u> :–सम्परीक्षा में देखा गया कि शासनादेश सं0 2399/नौ–9–54/04 जरनल/90,दिनांक 27–10–94 के साथ पठित शासनादेश सं0 1847/नौ–9–23ज/97, दिनांक 09–06–07 में उल्लिखित 39 मदों में किसी भी मद का नगर पालिका द्वारा जारी नहीं किया गया जा रहा था। जबकि पालिका सीमान्तर्गत निन्नांकित प्रकार के व्यवसाय नियमित रूप से संचालित किये जा रहे थे। शासनादेश संख्या 3341/नौ–9–4(ज)/97 दिनांक 04.12.1997 द्वारा तत्कालिन सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने समस्त लाइसेंसिग शुल्क की शासन द्वारा अनुमोदित दरों को तत्काल लागू कर तद्‌नुसार वसूली किये जाने हेतु प्रभावी निर्देश दिये गये थे।

पुनः शासनादेश संख्या 161सीएम/नौ–9–97–23ज/97 दिनांक 16 दिसम्बर 1997 के प्रस्तर–3 में यह स्पष्ट किया गया था कि जिन व्यवसायों पर पूर्व में भी लाइसेंसिग शुल्क एक लम्बी अवधि से लिया जा रहा है उसकी दरों को इस प्रकार की वृद्धि की जाय कि मूल्य–वृद्धि के दृष्टिगत तत्समय लगाये गये शुल्क के अनुरूप ही वर्तमान स्थितियों में भी प्राप्त होता रहे। प्रस्तर–4 में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि हाथ ठेला के लाइसेंस धारकों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाय एवं समय–समय पर हाथ ठेला धारकों की चैंकिग कर उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाय और इस हेतु उपविधियों में संशोधन अपेक्षित हो तो तद्‌नुसार कार्यवाही की जाय। इसी क्रम में पुन जारी संशोधित शासनादेश संख्या 98/नौ–9–2004–23ज/97टी.सी–11 दिनांक 05 फरवरी 2004 द्वारा 39 मदों की सूची के क्रमांक 20 पर अंकित रिक्शा चालक निजी चलित पर आरोपित रू 75/– लाइसेंस शुल्क को इस प्रतिबन्ध के साथ समाप्त किया गया था कि ऐसे रिक्शा चालको के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा परन्तु इस हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। परन्तु पंजीकरण पर कार्यवाही नहीं लिये जाने पर एक अनुस्मारक शासनादेश संख्या 974/नौ/9–9–13–7धो0/12 दिनांक 22 नवम्बर 2013 द्वारा पंजीकरण हेतु 10 दिवसों का समय दिया गया था।

परन्तु पालिका द्वारा उक्त शासनादेशो के अनुपालन में उप–विधियां लागू कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी थी, जिससे पलिका को इन मदों से प्राप्त होने वाली भारी सम्भावित आय से वंचित होना पड़ रहा था। यह पालिका के वित्तीय हितो के प्रतिकूल था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय। लाइसेंस की दरों को शासनादेश के अनुरूप तत्काल लागू कराते हुए पालिका की आय में वृद्धि हेतु प्रभावी कार्यवाही ली जाय। कृत कार्यवाही से अब आगामी अवसर पर सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

Scanned by CamScanner

क्रम0 सं0	शासनादेश में अंकित क्रम सं0	लाइसेन्स का मद	लाइसेन्स फीस की दरें (रु0)
1	1	होटल लॉजिग/ गेस्ट हाउस 10 शैया तक	1000
2	4	नर्सिग होम (20 बेड़ तक)	2000
3	8	प्राईवेट हस्पताल	5000
4	9	पैथोलोजी सेन्टर	1000
5	10	एक्स रे क्लीनिक	2000
6	11	डेन्टल क्लीनिक	2000
7	12	प्राईवेट क्लीनिक	1000
8	14	आटो रिक्शा/टम्पो	720
9	17	बस	2500
10	19	रिक्शा (किराये पर)	150
11	20	रिक्शा (निजी चलित) {केवल पजीकरण/नवीनीकरण}	निशुल्क
12	21	ठेला/ठेली	100
13	22	हाथ ठेला	25
14	24	ट्राली	150
15	25	अन्य चार पहियों के वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतुसभी वाहन	1000
16	27	ड्राईक्लीनर	1000
17	34	आइस फेक्ट्री	100
18	36	देशी दुकान प्रति दुकान	6000
19	37	विदेशी शराब	12000
20	40	पशुपालन प्रति पशु	10

13– <u>करों एवं राजस्व के संग्रहण की स्थिति</u> :–स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियमावली 2005 के नियम 12 के अन्तर्गत आलोच्य अवधि 2018–19 में नगर पालिका के करों एवं राजस्वों के संग्रहण की स्थिति संलग्न **परिशिष्ट** 'ङ' पर उपलब्ध **स्थ0नि0ले0प्रपत्र–106** पर अंकित विवरणानुसार थी।

टिप्पणी :– (1) उपरोक्त सूची क्रमांक–1 के अनुसार गृहकर की कुल मांग रु0 8,97,360 के सापेक्ष वसूली मात्र रु0 8,97,360 थी, जो लक्ष्य का मात्र 13.18 प्रतिशत था। जलकर की कुल मांग रु0 46,45,994 के सापेक्ष वसूली मात्र रु0 4,84,739 थी, जो लक्ष्य का मात्र 10.43 प्रतिशत था। जलमूल्य की कुल मांग रु0 23,45,898 के सापेक्ष वसूली मात्र रू 1,76,048 थी, जो लक्ष्य का केवल 7.50 प्रतिशत था। दुकान किराये की कुल मांग रु0 1,58,950 के विरूद्ध मात्र रु0 62,200 की गयी थी जो लक्ष्य का केवल 39.40 प्रतिशत था। यह अत्यन्त अनियमित व पलिका के वित्तीय हितो के प्रतिकूल था। उल्लेखनीय है कि कर–करेत्तर की न्यूनतम वसूली 80 प्रतिशत तक किये जाने हेतु शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों के माध्यम से नगर पालिकाओं को अपनी वित्तीय स्थिति सृदृढ कर स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु विशेष बल दिया जाता रहा है। नगर पालिका के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी का ध्यान वसूली में प्रर्याप्त वृद्धि हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

Scanned by CamScanner

(2) प्रपत्र–106 पर अंकित वास्तविक आकड़े नगर पालिकाबोर्ड द्वारा वर्तमान सम्परीक्षा समाप्ति तक स्वीकृत/प्रमाणित नहीं किये गये थे। बोर्ड प्रमाणीकरण के अभाव में बजट की समीक्षा को आगामी अवसर हेतु स्थागित किया जाता है।

(3) प्रपत्र–106 पर अंकित गृहकर, जलकर व जलमूल्य की स्थिति बाह्य संकलन पर आधारित व अन्नतिम है जो मांग एंव समाहरण पंजिकाओं में सम्पूर्ण प्रविष्टियां अंकित किये जाने एवं योग इत्यादि अंकित किये जाने पर सत्यापन के आधीन है। अभाव की पूर्ति कराकर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

14– **जमानत नहीं लिया जाना** :–वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 के प्रस्तर–69 में यह व्यवस्था है कि कैशियर, एकाउन्टेन्ट, स्टोर कीपर और अन्य अधिनस्थ कर्मचारियों से जिन्हें नकदी भण्डारों (स्टोर्स) अथवा मूल्यवान वस्तुओं (वैलुएबिल्स) की अभिरक्षा का भार सौपा गया हो, सभी मामलों में सिवाय उन मामलों में, जिनमें विशेष अथवा सामान्य सरकारी आदेशो के आधीन छूट दे दी जाय, प्रतिभूति जमा करायी जायेगी। उनमें यह व्यवस्था वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 के प्रस्तर–70 के उपबन्धों के आधीन रहते हुए प्रत्येक मामलों में प्रतिभूति की धनराशि स्थानीय आवशकताओं के अनुरूप विभागाध्यक्षों द्वारा विनियमित की जायेगी। प्रतिभूति की धनराशि पर कर्मचारी को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग 2 से 4 के मूल नियम–9(25) के आधीन विशेष वेतन अनुमन्य होगा।संस्था द्वारा नकद, भण्डार व अन्य मूल्यवान वस्तुओं की अभिरक्षा का कार्यभार देखने वाले कर्मचारी से शासनादेश के अनुरूप जमानत नहीं ली गयी थी। यह अनियमित था। अभाव की पूर्ति आपेक्षित है।

स्थान–मेरठ
दिनांक– 25–07–19

(विनोद कुमार बंसल)
उप निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0
मेरठ मण्डल मेरठ।

Scanned by CamScanner

भाग–ख
विगत लेखा परीक्षा

1. **विगत लेखा परीक्षाओं की समीक्षा** :–गत सम्परीक्षा आख्या संस्था के कार्यालय को प्राप्त हो चुकी थी। गत एवं विगत वर्षो की आपत्तियां अनुपालन के अभाव में अनिस्तारित चली आ रही थी। यह अत्यन्त अनियमित व संस्था के वित्तीय हितों के प्रतिकूल था। इन आपत्तियों की अनुपालन आख्या अब आगामी अवसर पर सम्परीक्षा में प्रस्तुतकी जाय। अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट "क"** पर अंकित किया गया है।

2. **वित्तीय स्थिति** :–संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो अनुसार जहां तक सुनिशिचित किया जा सका आलोच्य अवधि में नगर पालिका की मुख्य रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति **संलग्नक** परिशिष्ठ **'ख'** में अंकित विवरणानुसार थी।

टिप्पणी : वार्षिक लेखा बन्दी के समय आय व व्यय के मदों का वर्गीकृत सार विवरण संलग्न परिशिष्ठ 'ग' पर उपलब्ध है।

(2) आलोच्य अवधि में जिला कोषागार खाते में कोई भी धनराशि जमा नहीं थी। कोषागार से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस तथ्य की पुष्टि करायी जाय।श

(3) रोकड़ बही की वार्षिक लेखा बन्दी, सभी मांग एवं समाहरण पंजिकाओं की लेखा बन्दी, स्कन्द पंजियों की वार्षिक लेखा बन्दी सक्षम अधिकरियों द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सत्यापित नहीं की गयी थी। यह अत्यन्त अनियमित था। अभाव की पूर्ति अपेक्षित है।

(4) बैंक विवरण में अंकित अन्य विवरण में दर्शाये गये रु0 3,149 का अन्तर रोकड़बही में विगत कई वर्षो से अनवतरत रूप से चला आ रहा था। इसे बैंक समाधान विवरण तैयार कर स्पष्ट किया जाय।

(5) प्रमाणित किया जाय कि आलोच्य अवधि में पालिका को समस्त स्रोतो से प्राप्त आय व व्यय का लेखा (यथा निजी, शासन व अन्य संस्थाओं से) मुख्य रोकड़बही में अनुरक्षित किया गया था। यदि कोई लेखा पृथक से अनुरक्षित किया गया है तो उससे सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

3. **नकद परिसम्पति एंव दायित्व विवरण** :–आलोच्य अवधि में नगर पालिका द्वारा नगद, परिसम्पतियों एवं दायित्व का विवरण तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में शासनादेश संख्या 911/न0वि0–5–19–404एस0ए0/2017 दिनाक 08.03.2019 द्वारा संशोधित नगर पालिका लेखा नियमावली 2019 के नियम–11 में अंकित अनुदेश टिप्पणियों के क्रम में नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सदृढ़ होने की पुष्टि वर्तमान सम्परीक्षा में किया जाना सम्भव नहीं हो सका। यह अत्यन्त अनियमित था। अभाव की पूर्ति कराकर अब आगामी अवसर पर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

4. **राजकीय अनुदान** :–सम्परीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जहां तक सुनिशिचित किया जा सका आलोच्य अवधि में नगर पालिका का प्राप्त अनुदाानों व वर्षान्त बकाया अनुदानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट 'घ'** प्रपत्र–66 पर अंकित विवरणानुसार था।

टिप्पणी : सूची के क्रमांक 'क' पर अंकित राज्य वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत 31.03.2019 को धनराशि रु0 9,65,97,994 उपभोग हेतु बकाया थी।अवधि 2018–19 में इस मद में स्वीकृत अनुदान धनराशि रु 9,73,82,974 के विरूद्ध अवधि 2018–19 में मात्र रु 7,84,980 निर्दिष्ट मदों व्यय किये गये थे। यह अंत्यन्त अनियमित था। वेतन व पेंशन मदों पर व्यय के पश्चात बचत की धनराशि को

Scanned by CamScanner

9– <u>नगर पालिका द्वारा गृहकर स्वमूल्यांकन व्यवस्था लागू नहीं किया जाना</u> :–सम्परीक्षा में देखा गया कि शासनादेश संख्या 344/79–वि –1–11–1(क)15–2011 दिनांक 11 मार्च 2011 के उद्देश्य और कारण प्रस्तर में यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को कार्यान्वित करने और राज्य की नगर पालिकाओं के वित्तीय स्रोतों की वृद्धि करने के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से (क) नगर पालिका द्वारा सम्पत्ति कर को उग्रहीत करना, (ख) नगर पालिका के निवासियों को स्वकर निर्धारण की सुविधा प्रदान करना, (ग) नगर पालिका के क्षेत्र के भीतर गैर–आवासीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य की परिभाषा को परिवर्तित करना के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2,सन् 1916) को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है। तदनुसार उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सशोधन) विधेयक 2011 पुनःस्थापित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 202(1)/नौ–9–2019–85ज/05टी0सी0 दिनांक 26.02.2019 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000 (यथा संशोधित) की व्यवस्थाओं को नगर पालिकों में सम्पत्ति स्वामी या अध्यासी के कर स्वतः अवधारित करने के लिए किया जाय। परन्तु नगरं पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत सूची के प्रकाशन हेतु धारा 141 की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी थीं। यह अत्यन्त अनियमित था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

10– <u>नगर पालिका द्वारा विज्ञापन कर निर्धारण और वसूली हेतु आर्दश उप–विधि तैयार कर करारोपन</u> **नहीं किये जाने से आर्थिक क्षति सम्भावितः**–सम्परीक्षा में देखा गया कि संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 487/9–9–15–10ज/15 दिनांक 08 मई 2015 द्वारा प्रदेश की सभी नगर पालिको को विज्ञापन कर निर्धारण और वसूली हेतु आदर्श उपविधि सम्बन्धी दिशा निर्देश की प्रति इस आशय से उपलब्ध करायी गयी थी कि नगर पालिका अधिनियम की धारा–298 के अन्तर्गत इस निमित उप–विधि बनाकर एक माह में शासन को अवगत कराये जिससे मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहावाद की लखनऊ पीठ द्वारा दिनांक 20.04.2011 को अनुराग वंसल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में परित आदेशो का अनुपालन सुनिशित किया जा सके। परन्तु नगर पालिका द्वारा प्रश्नगत उप–विधि तैयार कराकर करारोपन हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी थी। यह अत्यन्त अनियमित था। अभाव की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

11– <u>**नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु शासनादेश के अनुरूप समुचित व्यवस्था नहीं किया जाना**</u> :–सम्परीक्षा में देखा गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं हथालन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट (मेनेमेंट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स 2000 प्रख्यापित किया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2003 या उससे पूर्व सभी नगरीय निकायों में कूडा प्रसंस्करण एवं उसके निस्तारण की व्यवस्था की जानी थी। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 325जीआई/नौ –5–2014–426सा/14 दिनांक 5 दिसम्बर 2014 द्वारा प्रदेश के सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिकों को भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मैनुयल के अनुसार त्वरित कार्यवाही लेने हेतु निदेशित किया गया था। परन्तु नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही आलोच्य अवधि 2018–19 तक नहीं ली गयी थी। यह अत्यन्त अनियमित व समय–समय पर शासन द्वारा इस निमित जारी निर्देशो का स्पष्ट उलंधन था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय। अभाव पूर्ति हेतु नगर पालिका स्तर पर प्रभावी कार्य अपेक्षित है।

Scanned by CamScanner

12– <u>वादो का रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जाना</u> :–सम्परीक्षा में देखा गया कि अधिसूचना संख्या 6110/ग्यारह–368–1939 दिनांक 05.12.1939 द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि ऐसे समस्त वाद जिसमें नगर पालिका/पंचायत एक पक्ष हो, का अभिलेख रखने के प्रयोजन के लिए प्रपत्र 41–क पर दो खण्डो में वादो का एक रजिस्टर बनाया जायेगा। परन्तु पालिका द्वारा आलोच्य अवधि तक वाद पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी। यह अत्यन्त अनियमित था, अभाव की पूर्ति अपेक्षित है।

13– <u>प्रपत्र 41 का रजिस्टर न बनाया जाना</u> :–सम्परीक्षा में देखा गया कि नगर पालिका द्वारा नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम 124 के अनुसार प्रपत्र 41 पर नकद, प्रतिभूति बांड पत्र आदि के जमा हेतु जमा रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था। यह अत्यन्त अनियमित था, अभाव की पूर्ति आपेक्षित है।

14– <u>निर्माण कार्यो की पंजी अनुरक्षित नहीं किया जाना</u> :–सम्परीक्षा में देखा गया कि नगर पालिका लेखा नियमावली के अन्तर्गत प्रपत्र–23 पर निर्माण कार्यों का रजिस्टर, प्रपत्र–24 पर शेष निर्माण कार्यो का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। यह अत्यन्त अनियमित था, अभाव की पूर्ति आपेक्षित है।

15–.<u>उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 लागू नहीं किया जाना</u> :–सम्परीक्षा में देखा गया कि शासन के पत्र संख्या 452/नौ–9–2017–170ज/06 टी0सी0, दिनांक 22.05.2017 एवं निदेशक स्थानीय निकाय के आदेश संख्या 3/828/ 281–पथ विक्रय/17 दिनांक 25.05.2017 द्वारा दिनांक 10.05.2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के उपबन्धों के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति का गठन, पथ विक्रेताओ का सर्वेक्षण, पंजीकरण, पथ विक्रेता प्रमाण पत्र जारी करना, विक्रय परिक्षेत्रो का सीमांकन, नये पथ विक्रेता बाजार बनाने, पथ विक्रेताओं को पुनर्स्थापित किये जाने, पथ विक्रेताओं का परिचय पत्र जारी करने इत्यादि की योजना /समय सारिणी का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। परन्तु नगर पालिका द्वारा इस निमित कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी थी। यह अत्यन्त अनियमित था। प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 478/नौ–9–2017–170ज/06टी0सी0, दिनांक 26 मई 2017 के अनुपालन में पंचायत स्तर पर प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

16– <u>नगर पंचायत द्वारा उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (विनियमन) अधिनियम 2000 की व्यवस्थाओं के अनुरूप शमन शुल्क आरोपन व वसूली की कार्यवाही नहीं लिया जाना</u> :–सम्परीक्षा में देखा गया कि नगर विकास अनुभाग–7 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या 1056/9–7–18–29(लखनऊ)/18 दिनांक 15.07.2018 द्वारा उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (विनियमन) अधिनियम 2000 की धारा 6–क,7,12,13–क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नगर पंचायत (अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित) को अपने सीमान्तर्गत 50 माइक्रोन से कम धनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगो को दिनांक 15.08.018 से तथा निस्तारण योग्य प्लास्टिक बैगो का दिनांक 02.10.2018 से प्रतिषिद्ध करने हेतु आदेशित किया गया था। इस अधिसूचना के प्रस्तर–(ङ) के अन्तर्गत अपराधो का शमन करने वाले अधिकारियों को विनिर्दिष्ट दरों पर अपराध की श्रेणी के अनुसार शमन शुल्क वसूल किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। परन्तु आलोच्य अवधि में नगर पंचायत द्वारा मात्र एक अवसर पर धनराशि रू 7,460/– जुर्माना वसूली की गयी थी। यह प्रर्याप्त कार्यचाही नहीं थी। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय। उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (विनियमन) अधिनियम 2000 की व्यवस्थाओं के अनुरूप शमन शुल्क आरोपन व वसूली हेतु पंचायत स्तर पर नियमित व प्रभावी ढंग से कार्यचाही अपेक्षित है।

Scanned by CamScanner

नहीं किये जाने के कारण पालिका अपने बेंच मार्क लक्ष्यों की पूर्ति में प्रर्याप्त सफलता प्राप्त करने से चूक गया। नगर पालिका 14 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत देय निष्पादन अनुदान हेतु निर्धारित न्यूनतम बेंच मार्क लक्ष्यों की अर्हताओं की पूर्ति नहीं कर सकी जिसके कारण इस मद से विशेष अनुदान नगर पालिका को आलोच्य अवधि में प्राप्त नहीं हो सका। राज्स्व वृद्धि में प्रर्याप्त सुधार व संसाधन विकसित किये जाने हेतु शासन द्वारा लागू की गयी उपरोक्त विभिन्न नियमावलियों व शासनादेशो के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

नोट :– स्वच्छ आपत्ति पत्र पर कोई आपत्ति अंकित नहीं की गयी है। सम्परीक्षा में निर्गत मूल आपत्ति पत्र प्रत्युत्तर सहित वर्तमान सम्परीक्षा को नहीं लौटाया गया। इसे अब सीधे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को लौटाया जाय।

स्थान–मेरठ
दिनांक– 25–07–19

(विनोद कुमार बंसल)
उप निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0
मेरठ मण्डल मेरठ।

श्री अजय,व0ले0प0

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट 'क' {सम्परीक्षा आख्या भाग–ख के प्रस्तर 1 मे सन्दर्भित}

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 प्रयागराज

नगर पालिका खेकड़ा, जिला बागपत अवधि 2018–19

अनिस्तारित आपत्तियों की सूची

अवधि	अनुच्छेद	पद	संख्या
1989–90	14(घ),14(ङ)टि0(I)(2)(3)	–	04
1993–94	18,19	–	02
1997–98	1(क)	–	01
1998–99	1(3)(4)	–	02
1999–2000	1(ग)	–	01
2003–04	1(क)(ख)(ग)	–	03
2004–05	1(क)(1)(2)(ख)	–	03
2006–07	1(ज)	–	01
2007–08	1(क)(ख)(छ)	–	03
2008–09	भाग–क :– 1,2,3,4,5	–	05
2009–10	भाग–क :– 1,2,3,	–	03
2010–11	भाग–क :– 3(1)(2)	–	02
2011–12	भाग–क :– 4(क)(ख)(ग)	–	03
2012–13	भाग–क :– 1,2	–	02
2013–14	भाग–क :– 1, भाग–ख :– 8	–	02
2014–15	भाग–क :– 4 भाग–ख :– 5टि0(1)(2),8,9(क)(ख)	–	06
2015–16	भाग–क :– 1,2,3,4,5,6,7 भाग–ख :– 2टि0(क)(ख)(ग),3,4टि0(क)(ख)(ग)(घ)(i)(ii)(ङ)(च)(छ)(ज),5,6,7,8,9(क)टि0(1)(2)(3)(4)(ग)टि0(i)(ii),(घ)टि0(ङ)(i)(ii)10,11	–	39
2016–17	भाग–क :– 1,2,3,4,5,6,7टि0(1)(2)(3),8,9,10,11,12 भाग–ख :– 2टि0(1)(2)(3)(4),3टि0(1)(2)(3)(7),4,5,6,7,8,9टि0(1)(2)(3)(4),10टि0(1)(2),11	–	34
2017–18	भाग–क :– 1,2,3,4,5,6टि0(i)(ii)(iii)(iv),7,8,9,10टि0(i)(ii)(iii),11 टि0(i)(ii),12,13,14,15, भाग–ख :– 2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),3टि0(i)(ii)(iii)(iv)(v),4टि0(i)(ii),5,7,8(1)(2)(3)(4)(5),9टि0(1)(2)(3)(4)10	–	46
	योग		**162**

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट 'ख' {सम्परीक्षा आख्या भाग–ख के प्रस्तर–2 में सन्दर्भित}

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0

नगर पालिका परिषद् खेकड़ा, जिला बागपत अवधि 2018–19

वित्तीय स्थिति

विवरण	धनराशि
01.04.2018 को प्रारम्भिक शेष	10,14,16,805.16
वर्ष की आय	13,99,90,255.24
योग	24,14,07,060.40
वर्ष में व्यय	7,82,02,523.30
31.03.2019 को इतिशेष (रोकड़बही अनुसार)	**16,32,04,537.10.**
(क) जोडियें :– अभुग्त चैको की धनराशि जिसका भुगतान 31.03.19 तक बैंको द्वारा नहीं किया गया।	(+) 1,56,88,000.00
(ख) बैंक विवरण के अनुसार 31.03.19 को इतिशेष	17,88,92,537.10

(क) अभुग्त चैंको की धनराशि का विवरण

क्र सं	चैक सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण	क्र सं	चैक सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	288572	01.0119	10,113	रा0वि0आ0	17	176063	22.03.19	8,98,444	14वां वि0आ0
2	288576	15.01.19	9,042	रा0वि0आ0	18	176065	24.03.19	58,39,183	14वां वि0आ0
3	288591	18.03.19	9,864	रा0वि0आ0	19	176066	24.03.19	2,06,678	14वां वि0आ0
4	288592	18.03.19	1,94,620	रा0वि0आ0	20	176067	24.03.19	2,06,678	14वां वि0आ0
5	288593	22.03.19	1,63,020	रा0वि0आ0	21	176068	24.03.19	19,552	14वां वि0आ0
6	62502	22.03.19	8,290	न0प0खाता	22	72656	24.03.19	3,96,281	14वां वि0आ0
7	62503	22.03.19	8,250	न0प0खाता	23	72657	24.03.19	8,806	2 प्रति0 स्टा0
8	62504	22.03.19	15,816	न0प0खाता	24	72658	24.03.19	8,806	2 प्रति0 स्टा0
9	62505	22.03.19	8,700	न0प0खाता	25	288596	24.03.19	19,14,873	रा0वि0आ0
10	62506	22.03.19	50,000	न0प0खाता	26	126960	24.03.19	11,03,014	आ0न0यो0
11	62507	22.03.19	50,000	न0प0खाता	27	609061	24.03.19	53,154	आ0न0यो0
12	62508	22.03.19	36,500	न0प0खाता	28	609062	24.03.19	30,165	आ0न0यो0
13	62509	22.03.19	36,500	न0प0खाता	29	609063	24.03.19	13,667	आ0न0यो0
14	288594	22.03.19	8,62,037	रा0वि0आ0	30	288597	24.03.19	1,68,727	रा0वि0आ0
15	288595	22.03.19	2,78,598	रा0वि0आ0	31	288598	24.03.19	59,805	रा0वि0आ0
16	176062	22.03.19	29,59,012	14वां वि0आ0	32	288599	24.03.19	59,805	रा0वि0आ0
						योग		**1,56,88,000**	

Scanned by CamScanner

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	31.03.2019 को जमा इतिशेष
1	पी0एल0ए0 बागपत		0.00
2	एस0बी0आई0 खेकड़ा	32143685982	9,40,08,125.50
3	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स खेकड़ा	402010100610	195,51,957.45
4	सिडिकेट बैंक खेकड़ा	87913070000047	2,09,918.95
5	सिडिकेट बैंक खेकड़ा	87912200030115	66,15,417.13
6	पंजाब नेशनल बैंक बागपत	3700000102024706	522,36,050.80
7	पंजाब नेशनल बैंक खेकड़ा	6444000100027497	13,53,506.60
8	पंजाब नेशनल बैंक खेकड़ा	4483000100039752	46,46,896.50
9	जिला सहकारी बैंक मेरठ शाखा खेकड़ा	1121050012028	,0.00
10	आई0सी0आई0सी0 बैंक बागपत	1767701000089	1,99,102.00
11	सिंडिकेट बैंक खेकड़ा	87912010005552	68,413.11
12	अन्य (विगत वर्षो का असमायोजित अन्तर)	–	3,149.06
	(ख) योग (31.03.2019 को बैंक विवरण अनुसार जमा इतिशेष)		17,88,92,537.10

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट'ग' {सम्परीक्षा आख्या भाग–ख के प्रस्तर–2 मेंसन्दर्भित}

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

नगर पालिका परिषद् खेकड़ा, जिला बागपत अवधि 2018–19

लेखे के आय व व्यय मदों का वर्गीकृत सार विवरण

क्र0 सं0	आय की मदों का वर्गीकृत विवरण अवधि 2018–19		व्यय की मदों का वर्गीकृत विवरण अवधि 2018–19	
	मद का नाम	धनराशि	मद का नाम	धनराशि
1	गृहकर	8,97,360.00	कर्मचारी वेतन	2,38,15,640.00
2	जलकर	4,84,739.00	पेंशन/बीमा आदि	72,59,840.00
3	जलमूल्य	1,76,048.00	2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क	4,13,893.00
4	पंजीकरण/नामान्तर शुल्क	7,140.00	14 वां वित्त आयोग	2,43,53,199.00
5	दुकान किराया	62,200.00	आर्दश नगर योजना	12,00,000.00
6	प्रतिलिपि नकल शुल्क	3,850.00	स्वच्छ भारत मिशन	11,70,496.40
7	पानी टेंकर शुल्क	11,400.00	पथ प्रकाश	50,35,442.00
8	निविदा शुल्क	81,295.00	जलापूर्ति	93,50,760.00
9	लाइसेंस शुल्क	500.00	कार्यालय व्यय	1,52,533.00
10	राज्य वित्त आयोग अनुदान	9,73,82,974.00	अनुरक्षण एवं विकास	54,50,719.90
11	14वां वित्त आयोग अनुदान	2,87,98,977.00	–	–
12	2 प्रति0 स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति	25,20,371.00	–	–
13	आर्दश नगर योजना	12,00,000.00	–	–
14	स्वच्छ भारत मिशन योजना	26,98,759.00	–	–
15.	रोड़ कर्टिग चार्जिज	10,816.00	–	–
16.	गौवंश भरण पोषण अनुदान	64,800.00	–	–
17.	बैंक ब्याज आय	50,02,880.24	–	–
18.	प्रकीर्ण आय	5,82,796.00	–	–
	योग	**13,99,90,255.24**	**योग**	**7,82,02,523.30**

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट'घ'{सम्परीक्षा आख्या भाग–ख प्रस्तर 4 मेंसम्दर्भित}   प्रपत्र संख्या स्था0 नि0 ले0–66

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तरप्रदेश।

वर्ष 2018–19 केअन्तर्गत नगर पालिका खेकड़ा जिला बागपत द्वारा अप्रयुक्त अनुदानो की तालिका

क्र0 सं0	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत	अनुदान का प्रयोजन	अनुदानों की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष (01.04.18)	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	व्यय की गयी धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष (31.03.119)	मनतव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(क)	राज्य वित्त आयोग		–	–	4,56,87,350	–	4,56,87,350.	4,56,87,350	–शून्य–	
1	8 / 86 / 152(4) च0रा0 वि0 आ0 / 18–19 / दि0 05.05.18	वेतन, पेंशन व विकास	87,26,163	14.05.18	–	87,26,163	87,26,163	7,84,980	79,41,183	
2	8 / 217 / 152(4) च0रा0 वि0 आ0 / 18–19 / दि0 29.05.18		85,74,227	05.06.18	–	85,74,227	85,74,227	–शून्य–	85,74,227	
3	8 / 410 / 152(4) च0रा0 वि0 आ0 / 18–19 / दि0 25.06.18		85,74,227	02.07.18	–	85,74,227	85,74,227	–शून्य–	85,74,227	
4	8 / 573 / 152(4) च0रा0 वि0 आ0 / 18–19 / दि0 24.07.18		85,74,227	20.08.18	–	85,74,227	85,74,227	–शून्य–	85,74,227	
5	8 / 686 / 152(4) च0रा0 वि0 आ0 / 18–19 / दि0 23.08.18		84,54,033	11.09.18	–	84,54,033	84,54,033	–शून्य–	84,54,033	
6	8 / 756 / 152(4) च0रा0 वि0 आ0 / 18–19 / दि0 27.09.18		84,54,033	08.10.18	–	84,54,033	84,54,033	–शून्य–	84,54,033	
7	8 / 843 / 152(4) च0रा0 वि0 आ0 / 18–19 / दि022.10.18		84,18,141	30.10.18	–	84,18,141	84,18,141	–शून्य–	84,18,141	
8	8 / 970 / 152(4) च0रा0 वि0 आ0 / 18–19 / दि0 28.11.18		84,18,141	07.12.18	–	84,18,141	84,18,141	–शून्य–	84,18,141	
9	8 / 1556 / 152(4) च0रा0 वि0 आ0 / 18–19 / दि0 29.12.18		81,77,753	02.01.19	–	81,77,753	81,77,753	–शून्य–	81,77,753	
10	8 / 1167 / 152(4) च0रा0 वि0 आ0 / 18–19 / दि0 21.01.19		81,77,753	05.02.19	–	81,77,753	81,77,753	–शून्य–	81,77,753	

Scanned by CamScanner

11	8/1412/152(4) च0रा0 वि0 आ0/18–19/ दि0 22.02.19		81,77,753	08.03.19.	–	81,77,753	81,77,753	–शून्य–	81,77,753
12	8/1551/152(4) च0रा0 वि0 आ0/18–19/ दि0 25.03.19		46,56,523	28.03.19	–	46,56,523	46,56,523	–शून्य–	46,56,523
	योग (क) 1 से 12 तक		**9,73,82,974**		**40,46,876**	**9,73,82,974**	**14,30,70,324**	**4,64,72,330**	**9,65,97,994**
(ख)	**14 वां वित्त आयोग**		–	–	3,14,25,262	–	3,14,25,262	2,43,53,199	70,72,063
1	8/528/171/14 वे0 वि0 आ0/17–18 दि0 16.07.18	मूलभूत नागरिक सुवधिाओं, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन, स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पतियों का रखरखाव आदि।	569	17.07.18	–	569	569	–शून्य–	569
2	8/808/171/14 वे0 वि0 आ0/18–19 दि0 09.10.18		1,43,99,204	12.10.18	–	1,43,99,204	1,43,99,204	–शून्य–	1,43,99,204
3	8/1204/171/14 वे0 वि0 आ0/18–19 दि0 31.01.19		1,43,99,204	04.02.19	–	1,43,99,204	1,43,99,204	–शून्य–	1,43,99,204
	योग (ख) 1 से 3 तक		**2,87,98,977**		**3,14,25,262**	**2,87,98,977**	**6,02,24,239**	**2,43,53,199**	**3,58,71,040**
(ग)	**स्वच्छ भारत मिशन**		–	–	29,64,880	–	29,64,880	11,70,496	17,94,384
1	पी0एम0यू0/695/427 (3)/2017 दि0 25.04.18	योजना के अनुसार निदिष्ट मदों पर		01.06.18	–		2,00,000	2,00,000	–शून्य–
2	पी0एम0यू0/843/427 (3)/2017 दि0 11.07.18			18.07.18	–		3,00,000	3,00,000	–शून्य–
3	पी0एम0यू0/1314/427 (3) एस.बी.एम. /आई.ई.सी./16–17 दि0 17.10.18			17.10.18	–				–शून्य–
4	पी0एम0यू0/1313/427 (3)/2017 दि0 17.10.18		5,25,000	17.10.18	–	5,25,000	5,25,000	81,000	4,44,000

Scanned by CamScanner

5	पी0एम0यू0 / 1437 / 427 (3) एस.बी.एम. / आई.ई.सी. / 18–19 दि0 17.12.18		5,44,000	18.12.18	–	5,44,000	5,44,000	–शून्य–	5,44,000	
6	पी0एम0यू0 / 1469 / 427 (8) एस.बी.एम. / आई.ई.सी. / 18–19 दि0 31.12.18		1,00,000	03.01.19	–	1,00,000	1,00,000	–शून्य–	1,00,000	
7.	पी0एम0यू0 / 1628 / 427 (8) एस.बी.एम. / आई.ई.सी. / 18–19 दि0 22.02.19		42,513	25.02.19		42,513	42,513	–शून्य–	42,513	
	योग (ग) 1 से 7 तक		**17,65,513**		**30,76,152**	**17,65,513**	**48,41,665**	**37,99,757**	**10,41,908**	
(घ)	**अन्त्येष्टि स्थल योजना**	योजना के अनुसार निदिष्ट मदों पर	–शून्य–	–शून्य–	1,92,264	–शून्य–	1,92,264	–शून्य–	1,92,264	31.03.19 को बैंक ब्याज सहित रू 1,99,102 बकाया
(ङ)	**अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल हेतु (गौवंश भरण पोषण हेतु) शा0 सं0 313 (1) / सैतीस–2–2018–5 (53) / 2018 दि0 11.02.19**	गौवंश भरण पोषण हेतु अनुदान	68,400	30.03.19	–शून्य–	68,400	68,400	–शून्य–	68,400	
(च)	आर्दश नगर योजना 8 / 1076–138–आ0न0यो0 / 2018–19 दिनांक 27.12.18	योजना के अनुसार निदिष्ट मदों पर	12,00,000	29.12.18	1,41,430	12,00,000	13,41,430	12,00,000	1,41,430	31.03.19 को बैंक ब्याज सहित रू 1,53,507 बकाया

Scanned by CamScanner

(छ)	अवस्थापना विकास निधि (2 प्रति0 स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति) 1890 / नौ–2018–94ज / 14 दि0 31.12.18 के क्रम में निदेशक स्थानीय निकाय के आदेश सं0 8 / 1128(1) / 2 प्रति0 / स्टाम्प शुल्क / 18–19 दि0 09.01.19 द्वारा	अवस्थापना विकास सुविधाओं हेतु।	25,20,371	08.02.19	1,70,77,189	25,20,371	1,95,97,560	4,13,893	1,91,83,667	31.03.19 को बैंक ब्याज सहित रू 1,95,51,957 बकाया
	महायोग {क+ख+ग+घ +ङ+च}									

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट 'ङ' {सम्परीक्षा आख्या भाग–ख के प्रस्तर में सन्दर्भित}

प्रपत्र संख्या स्थानीय निधि लेखा–106 {नियम12देखिये}

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उत्तरप्रदेश

वर्ष 2018–19में नगर पालिका खेकड़ा जिला बागपत केसम्बन्ध मेंकरो और राजस्वोंके संग्रह का विवरण (धनराशि पूर्णरूपयों में)

क्र0 सं0	आय का स्रोत	01.04.18 को अवशेष	चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मांग	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुलमांग (3+4)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल संग्रह	कर छूट	31.03.19 को अवशेष धनराशि	कुल मांग के सापेक्ष संग्रह का प्रतिशत	स्तम्भ –2 में दर्शाये गये करो की दर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गृहकर	49,03,728	19,04,635	68,08,363	8,97,360	–	59,11,003	शून्य	शून्य	
2	जलकर	33,95,803	12,50,191	46,45,994	4,84,739	–	41,61,255	शून्य	शून्य	
3	जलमूल्य	18,54,798	4,91,100	23,45,898	1,76,048	–	21,69,850	शून्य	शून्य	
4	दुकान किराया	83,050	75,600	1,58,650	62,200	–	96,450	शून्य	शून्य	
5	पंजी0 एवं नामान्तर शुल्क	–शून्य–	7,140	7,140	7,140	–	–शून्य–	शून्य	शून्य	
6	प्रतिलिपि नकल शुल्क	–शून्य–	3,850	3,850	3,850	–	–शून्य–	शून्य	शून्य	
7	पानी टेंकर शुल्क	–शून्य–	11,400	11,400	11,400	–	–शून्य–	शून्य	शून्य	
8	निविदा शुल्क	–शून्य–	81,295	81,295	81,295	–	–शून्य–	शून्य	शून्य	
9	लाइसेंस शुल्क	–शून्य–	500	500	500	–	–शून्य–	शून्य	शून्य	
10	रोड़ कर्टिंग चार्जिज	–शून्य–	10,816	10,816	10,816	–	–शून्य–	शून्य	शून्य	
11	प्रकीर्ण आय	–शून्य–	5,82,796	5,82,796	5,82,796	–	–शून्य–	शून्य	शून्य	
		1,02,37,379	44,19,323	1,46,56,702	23,18,144		1,23,38,558			

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट'च'

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ,प्रयागराज।

वर्ष 2018–19 केअन्तर्गत नगर पालिका खेकड़ा जिला बागपत द्वारा अप्रदत्त ऋणो की तालिका

क्र0 सं0	राजकीय आदेश सं0 जिसके द्वारा ऋण स्वीकृत हुआ	ऋण को प्रयोजन	ऋण की मौलिक धनराशि	ऋण प्राप्ति की तिथि	वर्ष मेंप्रारम्भिक अवशेष प्रतिदान हेतु बकाया	वर्षान्तर्गत प्राप्त ऋण	योग	अवधि 2018–19 में प्रतिदान की गयी धनराशि	31.03.2019 को प्रतिदान हेतु शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शासनादेश संख्या 15/2018आर0 एफ0205/नौ–9–18–141/2018 दिनांक 15	पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अनुसार	12,50,000	29.03.18	– 12,50,000	– –	– 12,50,000	रू0 अज्ञात	रू0 12,50,000	10 समान वार्षिक किश्तोंमेंराज्य वित्त आयोग अनुदान से पुस्तकीय समायोजन द्वारा वसूल
	योग		12,50,000		12,50,000		12,50,000	–	12,50,000	

Scanned by CamScanner

परिशिष्ठ 'छ' (सम्परीक्षा आख्या भाग–ख प्रस्तर 2 में सन्दर्भित)
प्रपत्र संख्या स्था0नि0ले0–104 {नियम 12 देखिए}
अवधि 2018–19 की आय और व्यय का विवरण (अंक पूर्ण रूपये में)।

क्र सं	स्थानीय निकाय का नाम	01 अप्रैल को आरंभिक अथशेष	अन्य स्रोतो से आय,(ऋण और सरकारी अनुदान के अतिरिक्त)	अनावर्तक राजकीय अनुदान	आर्वतक राजकीय अनुदान	सरकारी ऋाण	वर्ष की कुल आय (क+ख+ग+घ)	योग अथशेष सहित	वर्ष के दौरान कुल व्यय	31 मार्च को इतिशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5	6	7	8
	नगर पालिका परिष्द खेकड़ा	10,14,16,805	73,24,374	3,52,82,907	9,73,82,974	–शून्य–	13,99,90,255	24,14,07,060	7,82,02,523	16,32,04,537	
		10,14,16,805	73,24,374	3,52,82,907	9,73,82,974	–शून्य–	13,99,90,255	24,14,07,060	7,82,02,523	16,32,04,537	

Scanned by CamScanner

परिशिष्ठ 'ज' {सम्परीक्षा आख्या भाग–'ख' प्रस्तर 4 में सन्दर्भित}

प्रपत्र सख्या स्था0 नि0 ले0–105 {नियम 12 देखिये}

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

2018–19 में ऋण और अनुदान का विवरण नगर पालिका परिषद खेकड़ा जिला बागपत ।

(अंक पूर्ण रूपयों में)

क्रम0 सं0	आय का शीर्षक	वर्ष के वास्तविक आकड़े	क्रम संख्या 1 के समक्ष स्तम्भ–3 में दर्शाई गई अनुदान की समेकित स्थिति		अभ्युक्ति
			कुल आवर्त्ती अनुदान	कुल अनावर्त्ती अनुदान	
1	2	3	4	5	6
1	**राज्य सरकार से प्राप्त किये अनुदान का प्रयोजन**				
	राज्य वित्त आयोग	9,73,82,974	9,73,82,974	–शून्य–	
	14 वां वित्त आयोग	2,87,98,977	–शून्य–	2,87,98,977	
	स्वच्छ भारत मिशन योजना	26,98,759	–शून्य–	26,98,759	
	अवस्थापना विकास निधि (स्टाम्प प्रतिपूर्ति)	25,20,371	–शून्य–	25,20,371	
	आर्दश नगर योजना	12,00,000	–शून्य–	12,00,000	
	गौवंश भरण पोषण	64,800	–शून्य–	64,800	
	योग				
2.	**सरकार से प्राप्त ऋण**	–शून्य–	–शून्य–	–शून्य–	
	महायोग {1+2}	**13,26,65,881**	9,73,82,974	**3,52,82,907**	

Scanned by CamScanner